



### प्रेस नोट

थाना खखरेरु व आबकारी पुलिस फतेहपुर की संयुक्त टीम द्वारा दो अभियुक्तगणों को नाजायज देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ किया गया गिरफ्तार

### संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब निर्माणकर्ता अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के कुशल पर्वेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार के नेतृत्व में थाना खखरेरु पुलिस व आबकारी फतेहपुर की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण के अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.22 समय करीब 12.18 बजे मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम इनायतपुर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर से अभियुक्त रामकिशन पुत्र स्व0 रामसजीवन उम्र करीब 36 वर्ष निवासी इनायतपुर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर के कब्जे से 10-10 लीटर की दो प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज व अभियुक्ता गोधना देवी पत्नी छेदीलाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी इनायतपुर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर के कब्जे से 20-20 लीटर की 10 पिपिया में 200 किग्रा लहन, 10-10 लीटर की तीन पिपिया में करीब 25 लीटर अवैध कच्ची शराब नजायज सहित शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों से बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 158/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 159/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्तगणों से बरामदगी-** 1-200 किग्रा लहन 2-पाँच प्लास्टिक की पिपिया में करीब 45 लीटर कच्ची देशी शराब नजायज 3- टीना 4-पतेली 5-नलकी

**गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता-** 1- रामकिशन पुत्र स्व0 रामसजीवन उम्र करीब 36 वर्ष निवासी इनायतपुर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर

2. अभियुक्ता गोधना देवी पत्नी छेदीलाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी इनायतपुर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 अरविन्द कुमार 2-आबकारी निरीक्षक निधि सिंह 3-का0 माधवेन्द्र सिंह यादव 4-का0 प्रवेन्द्र 5-हे0का0 आबकारी आरिफ अहमद 6-हे0का0 आबकारी सूर्यभान मौर्या 7-का0 आबकारी नवीन चौधरी 8-का0 आबकारी अमर

### अभियुक्त रामकिशन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
01	236/16	60(2) आबकारी अधिनियम	खखरेरु
02	84/17	110 जी सीआरपीसी	खखरेरु
03	158/22	60 आबकारी अधिनियम	खखरेरु

### अभियुक्ता गोधना देवी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
01	159/22	60(2) आबकारी अधिनियम	खखरेरु

थानाध्यक्ष खखरेरु  
जनपद फतेहपुर

